

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-826/2026

सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव वगै०बनाम.....उत्तर प्रदेश राज्य

दिनांक 18-03-2026

जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांकित 10-03-2026 के अनुपालन में स्वयं आत्मसमर्पण करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु समय की याचना की गयी है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव व हर्षवर्द्धन यादव प्रत्येक द्वारा मु० 50,000/-रु० का नवीन स्वबंधपत्र प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा पूर्व में दाखिल प्रतिभू पर उन्हें दिनांक 25-03-2026 तक अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

नियत तिथि पर अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करें।

विशेष न्यायाधीश,

(एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।